UPLK010171982022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सत्र वाद सं0 2510/2022

सरकार **बनाम** श्रशांश दीक्षित आदि

अ0सं0 64/2022
धारा–323,504,427,353 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।

21–05–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323, 504, 427, 353 भा0द0सं0 व धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 11.07.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010171982022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2510/2022

सरकार **बनाम** श्रशांश दीक्षित आदि

अ0सं0 64/2022
धारा–323,504,427,353 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 16.02.2022 व समय 07.00 बजे सायं थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत रोटरी नंबर 13 गंगोत्री इन्क्लेव के सामने आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक द्वारा वादी मुकदमा अजय कुमार रावत व उनके साथी राजीव कुमार को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, जो भा0द0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक द्वारा वादी मुकदमा अजय कुमार रावत, जो लोकसेवक है, को उनके कर्तव्य से भयोपरत करने के आशय से उन पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक द्वारा वादी मुकदमा अजय कुमार रावत व उनके साथी राजीव कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठकें द्वारा वादी मुकदमा अजय कुमार रावत के माइक व आईडी को तोड़ कर रिष्टि कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 427 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक द्वारा वादी मुकदमा अजय कुमार रावत को अनुसूचित जाति का सदस्य जानते हुए, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

षष्टमः–यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अअभियुक्तगण श्रशांश दीक्षित व अविनाश सतीश पाठक व सतीश चन्द्र पाठक द्वारा अनुसूचित जाति की वादी मुकदमा अजय कुमार रावत के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)Va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 21–05–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 21–05–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127